

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग


क्रमांक: प.22(1)न्याय/21

जयपुर, दिनांक: 06.08.2021

:: आज्ञा ::

श्री सुधीर कुमार वर्मा, कनिष्ठ विधि अधिकारी, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर का स्थानान्तरण/पदस्थापन वरिष्ठ विधि अधिकारी, निदेशालय बाल विकास विभाग, जयपुर (क्रम संख्या 55) पर इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.07.2021 से किया गया है। निदेशालय बाल विकास विभाग, जयपुर के स्थान पर निदेशालय बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर पढ़ा जावे।

आज्ञा से

  
(पुरुषोत्तम लाल सैनी)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
4. श्री सुधीर कुमार वर्मा, कनिष्ठ विधि अधिकारी, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 7 दिवस में हर सूरत में कार्यमुक्त हो कर अथवा विभाग द्वारा कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में बिना कार्यमुक्त हुए नव पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जाकर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट भी इस विभाग को अविलम्ब भिजवाये।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव